

8
K.T.S.M. 04/12-13


आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ

आदेश

प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी गण के द्वारा एक आवेदन पत्र दाखिल कर उल्लेख किया गया है कि वादी बागुन सुम्बरुई की मृत्यु दिनांक 23.06.2018 को हो गई है और उनके वारिसगण का प्रतिस्थापना हेतु आवेदन या कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभिलेख देखने से ज्ञात होता है कि इस वाद में बागुन सुम्बरुई एकमात्र वादी है और उनके तरफ से 11.11.2018 से कोई पैरवी नहीं की जा रही है। यह वाद 2012 से लम्बित चला आ रहा है। वादी के उत्तराधिकारी के प्रतिस्थापना के अभाव में इस वाद को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

